समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (व
फैक्स न0–0612–2218
Email : dampatnaarmssection@gmail.c
dm-patna.bih@ni

–: आदेश :–

20-09-2013

आवेदक **मो0 इरशाद उल्लाह,** पिता–स्व0 मो0 फिरोजउद्दीन, सा0–वाजिदपु थाना–बाढ़, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–प्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–104/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्ष पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–20.09.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं एवं बिह राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के अध्यक्ष हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल क सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–926/गो0, दिनांक–08.05.20 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है सहायक पुलिस अधीक्षक, बाढ़, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, बाढ़ के अनुशंसा के आलोक आवेदक का शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारण एवं अनुशंसा के साथ भेजी ग है। थानाध्यक्ष, बाढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक व्यवसाय करते हैं एवं बिह राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के अध्यक्ष हैं। आवेदक को पूर्व से एक डी0बी0बी0एल0 ग अनुज्ञप्ति प्राप्त है। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्ग करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन प उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों क सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अप जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तिय वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त मो0 इरशाद उल्ला पिता–स्व0 मो0 फिरोजउद्दीन, सा0–वाजिदपुर, थाना–बाढ़, जिला–पटना को उनके द्वा

अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

मो0 उल्लाह को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।